राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्यक्रम की शुरूआत के अवसर पर प्रधान मंत्री जी का भाषण

अंनतपुर, आन्ध्र प्रदेश
दिनांक 2 फरवरी, 2006

यह बड़े ही संतोष की बात है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्यक्रमों की शुरूआत करने के लिए मैं आज बंदियापट्टी ग्राम पंचायत में मौजूद हूं। यह न केवल बंदियापट्टी के गरीब लोगों के लिए बल्कि देश भर के लाखों लोगों के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन है।

राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में गांवों में रोजगार की गांरटी देने के लिए एक एक्ट लाने का वादा किया गया था। हमने देश भर में काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू करने का भी वादा किया था। हमने अब इन दोनों ही वादों को पूरा कर दिया है। मैं सोनिया जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने इस एक्ट को संसद में पारित कराने में जी तोड़ मेहनत की। उनकी गहरी दिलचस्पी और जबरदस्त कोशिशों की वजह से ही हम अपने लोगों से किए गए वादों को पूरा कर पाए हैं।

मुझे सन 2004 में नेहरू जी की वर्षगांठ पर आन्ध्र प्रदेश आने का मौका मिला था जब हमने देश भर में काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया था। मैं आज फिर आन्ध्र प्रदेश के लोगों के पास यह घोषणा करने के लिए आया हूं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अब लागू हो गया है।

यह रोजगार गारंटी एक्ट कई मायने में हमारे वक्त का सबसे अहम कानून है। पहली दफा, गांवों के लोगों को न केवल एक विकास कार्यक्रम ही मुहैया कराया गया है बल्कि उन्हें अधिकार भी दिए गए हैं। इस एक्ट से गांवों में लोगों की क्षमता भी सामने आएगी और वे अपने लिए फिर से अनुकूल माहौल बनाने में सहयोग दे सकेंगे। ऐसा करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम उन लोगों में उम्मीदें जगाता है जिनके पास सब कुछ है लेकिन वे अपनी उम्मीदें खो चुके थे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लोगों को रोजगार दिलाएगा, उनकी आमदनी बढ़ाएगा, रोजी-रोटी मुहैया कराएगा, और उन्हें खुद्दारी और फ़ख्र के साथ जीने का मौका देगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एक कानूनी गारंटी है जिसका इस्तेमाल लोग न्यूनतम मजदूरी के साथ रोजगार का अपना हक़ पाने के लिए कर सकते हैं। रोजगार और आमदनी मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लोगों के हाथों में अधिकार देता है। यह मजदूर व कामगार की मांग के आधार पर गरीब आदमी के हाथों में एक कानूनी हथियार है। मांग को पूरा करने की जिम्मेदारी एक

कानूनी बाध्यता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत वे सभी इलाके शामिल होंगे जहां पर यह कानून लागू होता है।

इससे साझे एजेंडा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता तथा जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इसलिए हमें यह तय करना होगा कि इसे फील्ड स्तर पर पूरी तरह से अमल में लाया जाए। हमें सभी जगहों पर इस गारंटी को अमल में लाने के लिए पूरी ईमानदारी, साफगोई और जवाबदेही दिखानी होगी। इस कार्यक्रम में ग्राम सभा जैसे मंचों के जरिए लोगों की भागीदारी हासिल करनी होगी।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लागू होने से हमें अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजूबत बनाने का मौका मिलेगा। पंचायती राज संस्थाओं को इस एक्ट के तहत प्रमुख भूमिका अदा करनी होगी। ग्राम सभाएं, स्व-सहायता समूह, स्थानीय निगरानी समितियां, लाभभोगी समूह और समुदाय पर आधारित अन्य तरह के संगठन वे बुनियादी संस्थाएं हैं जो इस कार्यक्रम को चलाएंगी और इनकी निगरानी करेंगी। यह हमारे समाज के कमजोर वर्गों को अधिकार देने की दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम होगा। इससे वे सीख सकेंगे कि निचले स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं में किस तरह से बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया जाए और फैसला लेने की प्रक्रिया में किस तरह से ज्यादा से ज्यादा भूमिका निभाई जाए और संसाधनों पर कैसे नियंत्रण रखा जाए? इस तरह के अधिकार सौंपना गांवों के विकास के लिए जरूरी है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में सबसे गरीब लोगों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। इसमें उन लोगों को शामिल किया जाएगा जिन्हें रोजगार की सख्त जरूरत है। इससे उन लोगों को मदद मिलेगी जो रोजी-रोटी कमाने के लिए दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हैं। इससे हमें लोगों को अधिकार दिलाने में मदद मिलेगी ताकि वे गरीबी, बीमारी और कर्ज के बोझ से निजात पा सकें। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अपनी तरह की एक अलग सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था है। यह एक्ट कमजोर वर्ग के लोगों को जरूरत पड़ने पर काम की मांग का अधिकार देता है। यह खासतौर पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा गरीब महिलाओं के लिए वाकई सच है जो सामाजिक असमानता के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं।

मुझे उम्मीद है कि ग्राम सभा इस नए एक्ट से लाभ उठाने के लिए गांव के स्तर पर योजना बनाने में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेगी। हमें यह तय करना होगा कि हमारी योजनाओं में ऐसे निर्माण-कार्य शामिल हों जिनसे हमारे गांवों के लिए स्कूल, सड़कें आदि जैसी नई सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना भी सीखना होगा ताकि हम अपनी रोजी-रोटी के लिए अपने खुद के साधन ढूंढ़ सकें।

ग्राम सभा को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्यों की सामाजिक आडिट करने का अधिकार है। गैर-सरकारी संगठनों से मेरा आग्रह है कि वे आगे आएं और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्यों की सामाजिक तौर पर आडिट कराने में पूरी तरह हिस्सा लें। लोग सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए कार्य के सभी पहलुओं का रिकार्ड और सूचना हासिल कर सकते हैं। मस्टर

रोल, भुगतान रजिस्टर और रोजगार के अनुमान ये सभी बहुत ही खास दस्तावेज हैं। इन्हें जनता को उपलब्ध काराया जाना चाहिए ताकि वह इनकी जांच और सत्यापन कर सके। काम करने की जगह पर मजदूरी की दरों, अनुमानित खर्च तथा काम में लगाए गए लोगों के ब्यौरे का नोटिस लगा होना चाहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत हरेक साल किए गए हर काम तथा इनके नतीजों की आम रिपोर्ट हर स्तर पर पेश की जाएगी। ग्राम पंचायत यह रिपोर्ट ग्राम सभा को, विधान-मण्डल में रखने के लिए राज्य सरकार को और संसद में रखने के लिए केन्द्र सरकार को पेश करेगी।

मैं राज्य सरकार को भी कुछ सुझाव देना चाहता हूं। बड़े पैमाने पर भागीदारी की इस प्रक्रिया में कई सहयोगी और हिस्सेदार हैं। हम सभी को सद्भाव और आपसी मेलजोल के साथ मिलकर काम करना सीखना होगा। हर एजेंसी को, उसे सौंपी गई खास तरह की जिम्मेदारी और कामों के बारे में सावधानी से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। हरेक एजेंसी को अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में साफ तौर पर पता होना चाहिए ताकि लोगों को उनके जायज़ हक दिलाने में किसी तरह का संदेह न रहे, देरी या मनाही न हो। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी की मदद लेना ठीक रहेगा क्योंकि इससे न केवल प्रबंधन की क्षमता और कारगरता बढ़ेगी बल्कि इससे लोग भी अपने हक़ों के बारे में सूचना हासिल कर सकेंगे। एक अच्छी निगरानी प्रणाली भी बनाई जानी चाहिए। यह प्रणाली केवल अंदरूनी नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें सभी संबंधितों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि वे अपने जीवन पर इस कार्यक्रम से पड़ने वाले असर का जायजा ले सकें। हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जिससे इसके लाभ गरीबों को मिल सकें। इसके लिए हमें शिकायत निवारण तंत्र कायम करने पर खास ध्यान देना होगा ताकि लोगों को यह मालूम हो कि यदि वे चाहें तो इंसाफ हासिल कर सकते हैं। इससे प्रबंधन प्रणाली तेज और जवाबदेह बन सकेगी और हम समय पर अपनी गलतियों को सुधार सकेंगे।

हर चुनौती हमारी कल्पना का इम्तिहान लेती है। मुझे इस ऐतिहासिक मौके पर वे तीन बातें याद आ रही हैं जिन्हें मैं यहां दोहराना चाहूंगाः जितना पैसा खर्च किया जाए उतने नतीजे भी मिलने चाहिए; जो भी धन हम खर्च करें उससे लाभकारी परिसम्पत्तियां बनाई जानी चाहिए; और इस गांरटी को सही भावना से अमल में लाया जाना चाहिए। यदि हम इन बातों पर ध्यान देंगे तो हम अपने लोगों की जिन्दगी में सुधार लाने की अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभा पाएंगे।

जय हिन्द!